भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-414
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नौकरी समाप्त होना

414 श्री अब्दुल वहाब:
डा. सस्मित पात्रा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कोविड-19 के कारण संगठित और असंगठित दोनों रोजगार क्षेत्रों में समाप्त हुई नौकरियों का कोई ब्यौरा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में नौकरियां समाप्त होने को रोकने करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तत्संबंधी क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार की उन लोगों की सहायता करने की कोई कार्य योजना है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। देश कोविड-19 के खतरों एवं चुनौतियों का सामना करने हेतु बेहतर तरीके से तैयार हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। भारत सरकार ने 20 लाख करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा आत्मनिर्भर भारत जो अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं युवाओं हेतु रोजगार सृजित मांग पर आधारित है उसे भी आरंभ किया जा चुका है।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) प्रारंभ की है। उपायों का उद्देश्य निर्धन से निर्धनतम व्यक्तियों तक हाथों में भोजन एवं धन को रखना है ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति क्रय करने एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान तीन माह के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन के 25% तक बढ़ा कर 50% किया गया है, लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के निकट कार्य करने में सहायता करने के लिए उनकी कौशल मैपिंग की जा रही है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से उनका व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार ने एमजीएनआरईजीएस के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रु. उद्दिष्ट किए हैं। यह मानसून के मौसम में लौट रहे प्रवासियों सहित और अधिक कार्य के लिए कुल समाधानकारी आवश्यकता में लगभग 300 करोड़ व्यक्ति मानवदिवस सृजित करने में मदद करेगा।

व्यापार को राहत देने के लिए, 29 फरवरी, 2020 तक का बकाया ऋण की 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त, ब्याज की रियायती दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जा रही है। इकाइयों को स्वयं की कोई गारंटी या जमानत प्रदान नहीं करनी होगी।

*****